



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112023-249848
CG-DL-E-02112023-249848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2023/कार्तिक 11, 1945

No. 24]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023/KARTIKA 11, , 1945

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2023

का.नि.आ. 24 (अ).—केंद्रीय सरकार, *जन विश्वास* (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियत करती है कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में वर्णित क्रम सं. 37 के सामने, उक्त अधिनियम की अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) के संशोधन, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6(2)/2020-डी (क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2023

S.R.O. 24(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints that the amendments to the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) mentioned in column (5) of Schedule to the said Act, against serial number 37 mentioned in column (1) of said Schedule, shall come into force from the date of publication of this notification.

[F.No. 6(2)/2020-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.

6929 GI/2023